

[2022] 6 एस. सी. आर 763

धनन्जय राय उर्फ गुड्डु राय

बनाम्

बिहार राज्य

(दंड अपील सं.803/2017)

14 जुलाई, 2022

[न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - कीधारा 374 (2)-अपीलार्थी भा.दं.सं की धारा 302 और 120B और 1959 की हथियार अधिनियम की धारा 27(1) के तहत दोषी ठहराया गया .उन्होंने अपील दाखिल की पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए अपील को दर्ज कर लिया-इस बीच, अपीलार्थी फरार हो गया-उच्च न्यायालय ने इस आधार पर गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना अपील को खारिज कर दिया क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 एस की उप-धारा (2) के तहत आरोपी द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर अपील को आरोपी के फरार होने के आधार पर खारिज किया जा सकता है अभिनिर्धारित किया गयाकानून में चूक या गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है, लेकिन केवल रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद गुण-दोष के आधार पर निपटान पर विचार किया गया है-मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याया 12 नि. 8 के आधार पर उच्च न्यायालय के पहले के निर्णय पर भरोसा किया था। जो निर्धारित करता है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील को स्वीकार करने के लिए तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक कि अभियुक्त ने उसे कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराते हुए न्यायालय के आदेश के बाद आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है, मौजूदा मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसकी अपील पहले ही स्वीकार कर ली गई थी-

इसलिए, उक्त नियम, जो पूर्व-स्वीकृती चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं होता था-अपीलार्थी के फरार होने और अपीलार्थी द्वारा न्याय के प्रशासन को हराने जैसी बेशर्मी भरी कार्यवाही पर उच्च न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी जिसे अच्छी तरह समझाया जा सकता है। हालाँकि यह दोषसिद्धी के खिलाफ अपील को अधिवक्ता के अनुपस्थिति के कारण, बिना वाद के गुण दोषों पर विचार किये खारिज नहीं किया जा सकता है जब कि पहले ही इस वाद को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था, पटना उच्च न्यायालय नियम-अध्याय 12, नियम 8।

मामले को उच्च न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. आक्षेपित फैसले में, पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं दर्ज किया है कि यह कानून की तय स्थिति से विचलित हो रही है। इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अच्छी तरह से स्थापित कानून को बानी सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के इस न्यायालय के फैसले में पाया जा सकता है। मैं यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता को धारा 385-386 की सरल भाषा गैर-अभियोजन सरलीकरण के लिए अपील को खारिज करने पर विचार नहीं करती है। इसके विपरीत, द.प्र.सं अभिलेख के अवलोकन और जांच के बाद योग्यता के आधार पर अपील के निपटारे की परिकल्पना करता है। कानून स्पष्ट रूप से उम्मीद करता है कि अपीलीय अदालत योग्यता के आधार पर अपील का निपटारा करेगी, फैसले में न केवल निचली अदालत के तर्क पर विचार करके किया जाएगा, बल्कि खुद को संतुष्ट करने की दृष्टि से रिकॉर्ड पर साक्ष्य के साथ तर्क की प्रतिपरीक्षा करके किया जाएगा जो कि निचली अदालत द्वारा दर्ज तर्क और निष्कर्ष रिकॉर्ड पर सामग्री के अनुरूप होगा। इसलिए, कानून में डिफॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद गुण-दोष के आधार पर निष्पादन की परिकल्पना की गई है। [पैरा 6] [767-डी; 768-ई-जी]

2. त्वरित मामले में, उच्च न्यायालय ने दया शंकर सिंह के मामले में जो पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 12 के नियम पर आधारित था, अपने पहले के

फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें भविष्यवाणी की गई है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि आरोपी ने उसे कारावास की सजा के लिए दोषी ठहराते हुए अदालत के आदेश के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है, सिवाय उस मामले के जहां अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मौजूदा मामले में, अपील पहले ही दाखिल कर ली गई थी। अतः उक्त नियम, जो पूर्व-दाखिल चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं था। [पैरा 7] [770-बी-सी]

3. खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी की फरार होने और न्याय प्रशासन को पराजित करने की बेशर्मी भरी कार्रवाई के बारे में व्यक्त की गई पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ एक अपील को खारिज करने का यह कोई आधार नहीं है, जिसे पहले से ही योग्यता महत्त्व का उल्लेख किए बिना गैर-अभियोजन के लिए अंतिम सुनवाई के लिए दाखिल किया गया था। इसलिए, विवादित फैसले को दरकिनार करना होगा और योग्यता के आधार पर विचार के लिए अपील को उच्च न्यायालय में भेजना होगा। [पैरा 8] [770-डी-ई]

बानी सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) 4 एस. सी. सी. 720:[1996] 3 पूरक उ.न्या.नि. 247-पर निर्भर।

दया शंकर सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (2004) उच्च. न्या.मा. ऑनलाइन पैट 1189-लागू नहीं है।

श्याम देव पांडे और अन्य बनाम बिहार राज्य (1971) 1 उच्च. न्या.मा 855:[1971] पूरक। उच्च. न्या.रि. 133; सूर्य बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2013) 2 स्केल 492:[2013] 14 उच्च. न्या.रि. 452; के. एस. पांडुरंग बनाम कर्नाटक राज्य (2013) 3 उच्च. न्या.मा. 721:[2013] 4 उच्च. न्या.रि. 155 और राम नरेश यादव बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500-संदर्भित।

वाद विधि संदर्भ

[1971] पूरक।एससीआर 133	संदर्भित	पैरा 4
[2013] 14 एससीआर 452	संदर्भित	पैरा 4
[2013] 4 एससीआर 155	संदर्भित	पैरा 4
[1996] 3 पूरक एससआर 247	संदर्भित	पैरा 6
ए.आई.आर 1987 एससी 1500	संदर्भित	पैरा 6

आपराधिक अपील संबंधी क्षेत्राधिकार: दंड अपील सं..803/2017

दंड अपील (डी. बी.) संख्या 936/2009 में पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के दिनांक 25.08.2015 के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता-अनुज प्रकाश, सिद्धार्थ झा,

उत्तरदाता के लिए अधिवक्ता-साकेत सिंह, श्री मती निरंजना सिंह.

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय एस. ओका द्वारा दिया गया था ।

निर्णय

1. इस अपील में अन्तर्निहित संक्षिप्त मुद्दा यह है कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 374 की उपधारा (2) के अधीन किसी अभियुक्त द्वारा दाखिल की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील को इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि अभियुक्त फरार है।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, बक्सर द्वारा 2006 की सत्र परीक्षण संख्या ३३८ में पारित दोषसिद्धि के ४

सितम्बर, २००९, दिनांकित पूर्वोक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की गई थी। 29 अक्तूबर, 2009 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। जब अपीलार्थी द्वारा दायर की गई सजा के निलंबन के लिए आवेदन उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष आया, तो अदालत के संज्ञान में लाया गया था कि अपीलकर्ता फरार है। इसके बाद अपीलकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। चूंकि अपीलकर्ता फरार था, इसलिए पुलिस महानिदेशक ने सूचना देने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा की जो अपीलकर्ता के ठिकाने के बारे में रिपोर्ट कर सके।

3. 25 अगस्त, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर कि अपीलार्थी फरार था, अपील के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना अपील को खारिज कर दिया।

4. खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अपील का उपचार एक मूल्यवान अधिकार है, अपीलार्थी ने उस क्षण अपील करने के अपने अधिकार को खो दिया जब वह अभिरक्षा से बच गया और कानून की प्रक्रिया का खुलेआम दुरुपयोग किया। विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी की ओर से इस तरह का जानबूझकर कार्य न्याय के आपराधिक प्रशासन की अवज्ञा के समान है। खंडपीठ ने निम्नलिखित के निर्णय को निर्दिष्ट किया। श्याम देव पांडे और अन्य बनाम बिहार सरकार¹ खंडपीठ ने इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय को निर्दिष्ट किया। सूर्य बख्श सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य² साथ-साथ दयाशंकर सिंह और अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य³ वाले मामले में उसी उच्च न्यायालय का निर्णय। के. एस. पांडुरंग बनाम कर्नाटक राज्य⁴ वाले मामले में इस न्यायालय के एक अन्य विनिश्चय का उल्लेख करने के पश्चात्, खंडपीठ ने निर्णय दिया कि उसके समक्ष मामले की परिस्थितियां असाधारण थीं और इसलिए, न्यायालय से कानून के स्थापित सिद्धांत से भटकने की अपेक्षा की गई थी कि एक बार

1 (1971) 1 एस.सी.सी. 855

2 (2013) 2 स्केल 492 = (2014) 14 एस.सी.सी. 222

3 2004 एस.सी.सी. ऑनलाइन पैट 1189

4 (2013) 3 एस.सी.सी. 721

अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज करने से इनकार करने के बाद, उनकी सुनवाई योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील और प्रत्यर्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जा रहे हैं, हमारे पास आक्षेपित निर्णय को दरकिनार करने और उच्च न्यायालय के नए सिरे से विचार के लिए अपील को प्रतिप्रेषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

6. आक्षेपित निर्णय में, पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने स्वयं यह अभिलिखित किया है कि यह विधि की स्थापित स्थिति से विचलित हो रहा है। इस तरह के रवैये की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छी तरह से स्थापित कानून बानी सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य⁵ के मामले में तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ के इस न्यायालय के निर्णय में पाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य उक्त मामले में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा गैर-अभियोजन के लिए दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को खारिज करना उचित था। इस न्यायालय ने श्याम देव¹ और राम नरेश यादव बनाम बिहार राज्य⁶ के मामले में इस न्यायालय के दो समन्वय पीठों द्वारा व्यक्त विचारों में विरोधाभास को नोट किया।

“13. तो इस न्यायालय के दो निर्णयों के बीच विरोधाभास का क्षेत्र क्या है? श्यामदेव वाले मामले में [(1971) 1 एस. सी. सी. 855:1971 एस. सी. सी. (आपराधिक) 353:[ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1606], इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बार अपीलीय न्यायालय ने अपील को गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, वह अपीलकर्ता या उसके वकील की गैर-हाजिरी के लिए गैर-अभियोजन की अपील को खारिज नहीं कर सकता है, लेकिन मामले के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अपील का निपटारा करना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि अपीलकर्ता

5 (1996) 4 एस.सी.सी. 720

6 ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1500

या उसका वकील अनुपस्थित है तो अपीलीय न्यायालय अपील को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वह उसके बाद गुणदोष के आधार पर उसका निपटारा कर सकता है। रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए राम नरेश यादव मामले में [एआईआर 1987 एससी 1500:न्यायालय ने न तो संहिता के सुसंगत उपबंधों का विश्लेषण किया और न ही श्यामदेव मामले [(1971) 1 एस. सी. सी. 855:1971 एस. सी. सी. (आपराधिक) 353:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1606) ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अपीलार्थी का वकील अनुपस्थित है, तो गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करना उचित मार्ग होगा, लेकिन गुणागुण के आधार पर नहीं बल्कि अपीलार्थी या उसके वकील को सुनने के बाद या अभियुक्त की ओर से बहस करने के लिए राज्य लागत पर किसी अन्य वकील को नियुक्त करने के बाद ही उसका निपटान किया जा सकता है।

14. हमने इस न्यायालय के उक्त दो निर्णयों में व्यक्त किए गए विचारों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि (1971) 1 एस. सी. सी. 855:1971 एस. सी. सी. (आपराधिक) 353:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1606) एक मामूली स्पष्टीकरण को छोड़कर, जिसका उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं, ठीक प्रतीत होता है। धारा 385 की साधारण भाषा यह स्पष्ट करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय अपील को संक्षिप्त बर्खास्तगी के लिए उपयुक्त नहीं मानता है, तो इसे रिकॉर्ड के लिए 'अवश्य' बुलाना चाहिए और धारा 386 आदेश देती है कि रिकॉर्ड प्राप्त होने के बाद अपीलीय न्यायालय आरोपी या उसके वकील को सुनने के बाद अपील का निपटारा कर सकता है। इसलिए, धारा 385-386 की साधारण भाषा गैर-अभियोजन सरल के लिए अपील को खारिज करने के बारे में नहीं है। इसके विपरीत, संहिता में रिकॉर्ड के अवलोकन और समीक्षा के बाद गुणों के आधार पर अपील के निपटान की

परिकल्पना की गई है। विधि स्पष्ट रूप से अपील न्यायालय से गुणागुण के आधार पर अपील का निपटान करने की अपेक्षा करती है, न केवल निर्णय में विचारण न्यायालय के तर्क का अवलोकन करके बल्कि स्वयं को संतुष्ट करने की दृष्टि से अभिलेख पर साक्ष्य के साथ तर्क की प्रतिजांच करके कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तर्क और निष्कर्ष अभिलेख पर सामग्री के संगत हैं। इसलिए, कानून में डिफॉल्ट या गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने की परिकल्पना नहीं की गई है, बल्कि रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद गुण-दोष के आधार पर निष्पादन की परिकल्पना की गई है। इसलिए, सम्मान के साथ, हम इसे पाते हैं कि रामनरेश यादव वाले मामले में सुझाव से सहमत होना कठिन है [ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1500:1987 क्रिमि. एल. जे. 1856] के अनुसार यदि अपीलकर्ता या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है तो गैर-अभियोजन के लिए अपील को खारिज करना उचित मार्ग होगा।

15. दूसरा, विधि अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा करती है कि वह अपीलार्थी या उसके वकील, यदि वह उपस्थित है, और लोक अभियोजक, यदि वह उपस्थित है, को गुणागुण के आधार पर अपील के निपटारे से पूर्व सुनवाई करे। धारा 385 में कहा गया है कि यदि अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं किया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय उस समय और स्थान की सूचना देगा जिस पर अपीलकर्ता या उसके प्लीडर को अपील सुनी जाएगी। धारा 386 में यह उपबंध है कि अपीलीय न्यायालय अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् अपीलार्थी या उसके प्लीडर की सुनवाई करेगा यदि वह उपस्थित होता है। यह देखा जाएगा कि धारा 385 अपीलार्थी या उसके प्लीडर को अपील की सुनवाई के समय और स्थान की सूचना देने का प्रावधान करती है, न कि दोनों को, क्योंकि प्लीडर को दी गई सूचना को भी पर्याप्त माना गया क्योंकि वह अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व कर

रहा था.इसी प्रकार धारा 386 में अपीलार्थी या उसके वकील को सुनवाई का प्रावधान है, यदि वह उपस्थित है और दोनों की सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। यह अपीलार्थी और उसके वकील का कर्तव्य है कि वे नियत दिन, समय और स्थान पर उपस्थित रहें जब अपील सुनवाई के लिए रखी जाती है। संहिता की धारा 385-386 के सादा पठन पर संहिता की यह आवश्यकता है। कानून यह आदेश नहीं देता है कि यदि अपीलकर्ता और उसके वकील दोनों अनुपस्थित हैं तो अदालत मामले को स्थगित कर देगी। यदि न्यायालय विवेक या अनुकम्पा के रूप में ऐसा करता है तो यह एक अलग मामला है, लेकिन वह मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है। यह निचली अदालत के रिकॉर्ड और फैसले का अध्ययन करने के बाद अपील का निपटारा कर सकती है। तथापि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करेंगे कि यदि अभियुक्त जेल में है और स्वयं न्यायालय में नहीं आ सकता है तो मामले को स्थगित करना और यदि उसका वकील उपस्थित नहीं है तो अभियुक्त/अपीलार्थी की हाजिरी को सुगम बनाने के लिए एक और तारीख नियत करना उचित होगा। यदि कोई वकील अनुपस्थित है और न्यायालय उसकी सहायता के लिए राज्य के खर्च पर वकील नियुक्त करना उचित समझता है तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कानून में कुछ भी नहीं है। इसलिए, हमारी राय है और हम यह सम्मान के साथ कहते हैं कि खंड न्यायपीठ जिसने राम नरेश यादव मामले का निर्णय किया [एआईआर 1987 एससी 1500:1987 क्रि. एल. जे. 1856] ने संहिता की धारा 385-386 के उपबंधों को सही रूप से लागू नहीं किया जब यह इंगित किया कि अपीलीय न्यायालय के दायित्व के अधीन था। यदि अपीलकर्ता या उसका वकील अनुपस्थित रहता है तो मामले को किसी अन्य तारीख तक स्थगित कर सकता है।”

(जोर दिया गया)

7. हम यहां यह नोट कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने दया शंकर सिंह³ के मामले में अपने पूर्व निर्णय पर भरोसा किया, जो पटना उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 12 के नियम 8 पर आधारित था, जिसमें यह प्रावधान है कि दोषसिद्धि के खिलाफ किसी भी अपील पर सुनवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अभियुक्त ने उसे कारावास के दंडादेश के लिए दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के आदेश के लिए आत्मसमर्पण नहीं कर दिया है, सिवाय उस मामले के जहां अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के बाद निचली अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस मामले में अपील पहले ही 29 अक्टूबर, 2009 को स्वीकार कर ली गई थी। इसलिए, कथित नियम, जो पूर्व-प्रवेश चरण पर लागू होता है, इस मामले में लागू नहीं था।

8. अपीलार्थी के फरार होने और न्याय के प्रशासन को पराजित करने के निर्लज्ज कार्य के बारे में खंडपीठ द्वारा व्यक्त पीड़ा को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ एक अपील को खारिज करने का यह कोई आधार नहीं है, जिसे पहले से ही विशेषता पर ध्यान दिए बिना गैर-अभियोजन के लिए अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। इसलिए, आक्षेपित निर्णय को रद्द करना होगा और अपील को गुण-दोष के आधार पर विचार के लिए उच्च न्यायालय में प्रतिप्रेषित करना होगा।

9. हम नोट कर सकते हैं कि बाद में, अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया गया और वास्तव में इस अपील में जमानत के लिए किए गए एक आवेदन पर 14 मई, 2018 को सुनवाई की गई और उसे खारिज कर दिया गया।

10. चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील वर्ष 2009 की है, अतः उसी पर तेजी से सुनवाई होनी चाहिए। यदि अपील एक उचित समय के भीतर नहीं सुनी जा सकती है, तो उस स्थिति में, अपीलकर्ता को दंडादेश के निलंबन के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी।

11. तदनुसार, 25 अगस्त, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाता है। 2009 की आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या 936 को कानून के अनुसार सुनवाई के लिए पटना के उच्च क्षेत्राधिकार में भेज दिया गया है।

12. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दो-सिद्धि के विरुद्ध अपील वर्ष 2009 की है, अपील के निपटान को आवश्यक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए हम उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि अपील का निष्पादन निपटान जल्द से जल्द, अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए।

13. यदि आज से छह महीने की अवधि के भीतर अपील पर सुनवाई नहीं की जाती है, तो अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के निलंबन के लिए आवेदन कर सकता है।

14. उपर्युक्त शर्तों के अनुरूप आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी जाती है।

[अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति]

[एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

14 जुलाई, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।